प्रश्न सं. [क्र. 122]

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होगें। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यो के साथ–साथ ही किया जा सकता है, किन्तु एक तरह से वे विधानसभा सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होगें। इस प्रकार इन कार्यो की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिये निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यो की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओ, जिनका कार्यान्वयन लोगो की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है से भिन्न नहीं है। विधायक सुझावों को जिला कलेक्टर द्वारा संकलित किया जायेगा एवं इस मार्गदर्शिका के अन्तर्गत उन पर विचार किया जायेगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये यथा संभव उनके जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा।

2.2 इस मार्गदर्शिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले कार्यो, जिनके लिये विधायकों ने अपनी अनुशंसा की है, की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिलों में सामान्यतः उनके विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप दी जायेगी। कार्यो को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेन्सियों/निगमों–मण्डलों/स्थानीय निकायो के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा।

2.3 इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसम्पत्ति सृजन स्वरूप के होगें तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च (अन्यथा अनुमत मदों को छोड़कर) की अनुमति नहीं दी जायेगी। कार्य इस तरह के होने चाहिये, जो काम के एक अथवा दो मौसमों, में पूरे हो सकते हों तथा जिसमें टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियां सृजित होती हों। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे–छोटे विकास कार्यो का चयन किया जाना है। सुझाव के अनुसार लिये जाने वाले कार्य जिला योजना, विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यो की श्रेणी के होना चाहिये।

2.4 इस योजना के अन्तर्गत [illegible] (सम्पूर्ण नही) सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है।

2.5 योजनान्तर्गत रूपये 25.00 लाख की लागत के कार्यो की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत हैं। रूपये 25.00 लाख से रूपये 50.00 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति संबंधित संभागायुक्त द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। कार्य की लागत यदि रूपये 50.00 लाख से अधिक हो तो ऐसे कार्यों की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

Scanned by CamScanner